संख्या-407/2023/1395/22-2-2023-17(223)/2009

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 23 जून, 2023

विषयः-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6148/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-14.02.2023, दिनांक 24.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.02.1989 को शव दफनाने आये विरोध पक्ष के लोगों को 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेय अस्त्रों व धारदार हथियारों से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 332/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.05.1995 द्वारा यथावत रखा गया है।

3- बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2019 तक 30 वर्ष 08 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 39 वर्ष 07 माह 28 दिन की सपरिहार काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी के समयपूर्व रिहा होने पर भविष्य में पुनः अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में सक्षम होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की 61 वर्ष से अधिक आयु, बंदी द्वारा अपरिहार 30 वर्ष 08 माह 08 दिन तथा सपरिहार 39 वर्ष 07 माह 28 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रशीदुल जफर उर्फ छोटा (बन्दी संख्या-15505) पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-407/2023/1395(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।